(भावी हथ में रखणीय)

क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।
आर0ई0 वाद सं0– 31/2017–18
आवेदिका– मोसमात राजकुमारी
बनाम
विपक्षी– पिंकी लकड़ वगै0

आदेश

22.6.18

आवेदिका के द्वारा दिनांक 20.01.2018 को दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने से प्रतीत होता है कि विपक्षीगण के द्वारा किये गये अवैध दखल से आवेदिका विपक्षीगण को उच्छेद कराना चाहती है। आवेदिका के आवेदन पत्र से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षीगण को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई एवं दाखिल आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं की जाँच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, तालझारी को भेजा गया।

विवादित भूमि की विवरणीः–

मौजा	जमा0 नं0	दाग नं0	रकवा
भागियामारी उर्फ परताबाड़ी	31	52	04 कट्ठा 10 धूर

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा बड़ी भगियामारी उर्फ परताबाड़ी जमाबंदी नव 31 दाग न0 9,10,34,35,52,59 एवं 63 के जमीन बुधुध ांगड़ व दशरथ धांगड के नाम से खतियान में दर्ज है। आवेदिका खतियानी रैयत के छरपोता की पत्नी है तथा विपक्षीगण खतियनी रैयत से कोई संबंध नही है, उक्त मौजा की जमीन दामिन कोह कह कर दर्ज है। जिसकी खरीद बिक्री नही होती है। विपक्षी पिंकी लकडा खतियानी रैयत के वंशज नही है एवं खतियानी रैयत के टाईटील एवं पिंकी लकड़ा का टाईटील अलग–अलग है। विपक्षीगण के जमीन को लेकर द0प्र0स0 की धारा 144 का मुकदमा इसके पूर्व हुआ था। उस मुकदमा मे अंतिम सुनवाई नही होने एवं औपचारिक अवधि समाप्त हो जाने के कारण बिना फलाफल के समाप्त हो गई है। बाद में विपक्षीगण काफी तेजी से ईट सिमेंट तथा गिट्टी बालु को जमा कर ईट का मकान बनाना शुरु कर दिए है। तथा जमीन का गलत रुप से दावा कर रहे है। जबकि विपक्षीगण द0प्र0स की धारा 144 के कारणपृच्छा के कंडिका 4 में लिखे है कि खतियानी रैयत के पोत्र चिगडु उराँव पिता सुकरा धांगड़ को मौजा बड़ा भगियामारी जमाबंदी न0 31 दाग न0 35 रकवा 13 कट्ठा धूर के अन्दर 04 कट्ठा 10 धूर जमीन प्राप्त था। जिसमें चिगडू उराँव ने अपने भोग दखल रकवा 04 कट्ठा 10 धूर को कालीचरण उराँ को एक अनिबंधित एकरार नामा दिनांक 20.10.1986 के द्वारा दखल में दे दिया। विपक्षीगण के उक्त वाद से स्पष्ट हो जाता है कि विपक्षीगण के पूर्व तथा विपक्षीगण खतियानी रैयत के वंशज से कोई वैधिक कागजात नही है। अनिबंधित एकरार नाम से अहस्तांतरणीय जमीन का स्वमित्व एवं मालकियत प्राप्त नही हो सकता है। विपक्षीगण सी0आर0पी0 का रौब दिखा कर गरीब अदिवासी की जमीन हड़पना चाहते है तथा जबर्दस्ती मकान बनाया है। अतएव विपक्षीगण को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत् उच्छेद करने हेतु अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदका खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी की श्रेणी में नही आते है। अनुसूचित जनजाति में औरत को संपति अपना अधिकार प्राप्त नही है। उससे सिर्फ भरण–पोषण पाने का अधिकार है। विपक्षी सं0–1 खतियानी रैयत के वंशज में आते है तथा उनका जन्म खतियानी रैयत के परिवार में हुआ है तथा हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 से सासीत है। इसलिए उसे अपने पिता की हक की संपति पर अन्य चार पुत्रो की तरह हक व अधिकार प्रापत है। इस वाद के पूर्व आवेदिका ने विपक्षी के विरुद्ध द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत् मुकदमा लाई थी जिसका क्रि0मी0 वाद सं0 664/17 था जो औपचारिक अवधि पूर्ण होने के कारण उसमे आंतिम आदेश पारित नही किया जा सका था। क्रि0मी0 वाद की कार्यवाही में आवेदिका ने जमाबंदी न0 31 दाग न0 59 के पूरब में सिर्फ 35 फीट चौड़ एवं 45 फीट लम्बा रकवा को लेकर वाद दायर किया था लेकिन यह वाद इस समय

Scanned with CamScanner

जमाबंदी न0 31 के दाग न0 52 रकवा 04 कट्ठा 10 धूर को लेकर लाया गया है जबकि दाग न0 52 के कुल रकवा 3 बीघा 12 कट्ठा 12 धूर है शेष रकवा के संबंध में आवेदिका द्वारा कुछ भी उल्लेख नही किया गया है। आवेदिका ने जमाबंदी रैयतो के वंशजो एवं वारिसानो को इस वाद में पक्षकार नही बनाये जाने की स्थिति में आवेदिका के कथन को बल नही मिलता है तथा अन्य पक्षकारो के अभाव में इस वाद का विचारण नही किया जा सकता है। आवेदिका ने स्वयं अपने दायर क्रि0मि0 केस न0 004/17 के मूल आवेदन में दर्शाया गया वंशावली अधूरा है। विपक्षी पिंकी लकड़ा त्रिलोकी उराँव की पुत्री है त्रिलोकी उराँव अपने पिछे पिंकी लकड़ा रिंकी कुमारी उर्फ रिंकी लकड़ा व एक पुत्र शिवा उराँव को छोड़ गये है। विपक्षी का खतियानी रैयत के साथ खुन का रिस्ता है। आवेदिका का कहना है कि पिंकी लकड़ा का टाईटल पर्चाधारी रैयत का टाईटल अलग–अलग है। यह हास्यपद लगता है। स्वंय आवेदिका के पति का नाम से टाइटल का मेल नही खाता है तो फिर किस आधार पर दावा करते है। आवेदिका को जितु उराँव के हिस्से पे दावा करना चाहए ना कि चिगड़ू उराँव के हिस्से से। विपक्षी के दादा चिगड़ू उराँव पिता सुकरा धांगड़ ने अपने जीवनकाल में इसी जमाबंदी से रकवा 04 कट्ठा 10 धूर जमीन एक अनिबंधित एकरार नामा दिनांक 20.10.1985 के द्वारा बिक्री कर घर बनाने के लिए दखल में दे दिया, जिसमें कालीचरण उराँव अपना घर बनाकर निवास करते आ रहे है। कालीचरण उराँव को एक पुत्री फुलो देवी थी, जिसकी शादी उसने बाद में चिगड़ू उराँव के लड़के त्रिलोकी उराँव के साथ कर दिया। विपक्षी पिंकी लकड़ा के पिता त्रिलोकी उराँव एवं माता की मृत्यु हो गई, पिंकी लकड़ा सबसे बड़ी संतान थी एक छोटी बहन व एक भाई शिवा उराँव जो अभी नावालिग है को देख–रेख पालन–पोषण का जिम्मा पिंकी लकड़ा पर है। पिंकी लकडा की नोकरी सी0आर0पी0एफ0 में हो गयी है। विपक्षी पिंकी लकड़ा अपने नाना के द्वारा बनाये गए घर में अपने दोनो नवालिक भाई बहन के साथ निवास करती है। पिंकी लकड़ा नोकरी पर चले जाने की स्थिति में उसका पति प्रकाश चौधरी दोनो का देख–रेख करता है। आवेदिका को स्पष्ट करना होगा कि किस दाग के सरोकार है जबकि दाग न0 52 का रकवा 03 बीघा 12 कट्ठा 12 धूर तथा दाग न0 59 का रकवा 05 बीघा 19 कट्ठा 04 धूर है।विपक्षी पिंकी लकड़ा दादा चिगड़ू उराँव व आवेदिका का ससुर जीतु उराँव अपना भाई था। विपक्षी ने अपने आवासीय मकान के कुछ भाग को तोड़ कर उसमें घर का निर्माण कर रहे है जिसमें पिलर खड़ हो चुका है तथा कमरे के लिए छड़ का बैंड (आधार) भी लगा हुआ है। आवेदिका को उक्त भूमि से कोई सरोकार नही है। उक्त मोजा के जमीन अहस्तान्तरणीय है लेकिन आदिवासी समाज मे घर बनाने के लिए लोग जमीन का खरीद करते आ रहे है इस तरह से आवेदिका के ससुर व पति ने अपने हिस्से की जमीन बहूत पहले ही एकरार नामा के द्वारा कई लोगो के पास बिक्री कर दिया है। विपक्षी के नाना को प्राप्त जमीन से सरकार को अद्यतन लगान अदा करते आ रहे है। खतियानी रैयतो के बीच संथाल परगना काश्तारी अधिनियम 1949 की धारा 20 के अन्तर्गत कार्यवाही नही चलाई जा सकती है। उभय पक्ष खतियानी रैयत से सबंध है। आवेदिका को यदि कोई हिस्सा/ अंश का अधिकार है तो सक्ष्म न्यायालय में वाद दाखिल करना चाहिए, इस न्यायालय के द्वारा हक, अधिकार, स्वत्व का विचारण नही किया जा सकता है। अतएव विज्ञ अधिवक्ता ने आवेदिका के आवेदन पत्र को खारिज करते हुए इस वाद की कार्यवाही समाप्त करने हेतु प्रार्थना किया है।

अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने पत्रांक 256/रा0 दिनांक 09.06.18 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा भगियामारी उर्फ परताबाड़ी न0 6 के अन्तर्गत प्रधानी व हस्तान्तरणी मौजा है। उकत मौजा के जमाबंदी न0 31 दाग न0 52 रकवा 03 बीघा 12 कट्ठा 12 धूर, किस्म बाड़ी आवाल नकल खतियान स्लीप में बुधु धांगड़ वल्द दशरथ धांगड़ सा0–देह के नाम से खतियान में दर्ज है। स्थानीय जाँच एवं ग्रामीणों के पूछ–ताछ से पाया गया कि आवेदिका एवं विपक्षी सं0– 1 उक्त जमाबंदी के वारिसान है। एवं विपक्षी न0 2 ना तो खतियानी रैयत के वंशज है और ना ही उक्त जमाबंदी के हकदार है। आवेदका का वर्त्तमान निवास स्थल हाथीगड एवं विपक्षी न0 1 का निवास स्थल मौजा भगियामारी में है। उभय पक्षो के बीच मौजा हाथीगड़ जमाबंदी न0 26 एवं भगियामारी के जमाबंदी न0 31 की जमीन का आपसी हिस्सा बंटवारा को लेकर काफी दिनो से विवाद है। भगियामारी के विवादित जमीन पर विपक्षी के भाई एवं बहन के द्वारा निर्माण कार्य को लेकर आवेदिका के साथ विवाद उत्पन्न है। जाँच के समय निर्माण कार्य बंद पाया गया है। दोनो पक्षो के ओर से परस्पर आवेदित जमीन पर अपन–अपना हक जाहिर की जा रही है। आवेदिका द्वारा दिनांक 11.11.2017 को सादा कागज पर तैयार बंटवारा की कागज की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें विपक्षी का पक्ष कही उल्लेखित नही है। इस प्रकार दोनो पक्षो के बीच उपरोक्त मौजा भगियामारी व हाथीगड़ के जमीन के हिस्सा को लेकर विवाद है। उक्त जमीन के विवाद के कारण धारा 144 का भी केस हुआ था। वर्त्तमान में जमीन के झगड़ा झंझट लेकर दोनो पक्षो के बीच तनावपूर्ण स्थिति का महौल है, सं सबंधित आग्रेत्तर कार्यवाही हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

Scanned with CamScanner

उभय पक्षों के द्वारा निम्नलिखित कागजात दाखिल किया गया है।

आवेदिका के द्वारा अपने दावे के समर्थन में किसी भी प्रकार का कागजात दाखिल नही किया गया है।

विपक्षी की ओर से निम्नलिखित कागजात दाखिल किया गया है:–

1. मौजा भगियामारी उर्फ परताबाड़ी जमाबंदी न0 31 सच्ची प्रतिलिप की छाया प्रति।
2. अंचल अधिकारी, तालझारी के पारिवारिक विवरणी प्रमाण पत्र 07/18 दिनांक 23.01.2018 की छाया प्रति।
3. मौजा बड़ी भगियामारी के मौजा प्रधान द्वारा निर्गत वंशावली की छाया प्रति।
4. अनुमंडल दंडाधकारी, राजमहल के क्रि0मि0 वाद सं0– 664/17 के नोटिस की छाया प्रति।
5. मतदाता पहचान पत्र सं0 MMR3233798, त्रिलोकी उराँव पिता चिगडू उराँव के नाम की छाया प्रति।
6. चिगडू पिता स्व0 सुकरा उराँव सा0– बड़ी भगियामारी के नाम से दिनांक 20.10.1986 का निर्गत वसोडी एकरारनामा की छाया प्रति।
7. मौजा बड़ी भगियामारी जमाबंदी न0 31 रकवा 04 कट्ठा 10 धूर जमीन की प्रधानी लगान रसीद विभिन्न वर्षो की छाया प्रति।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा दाखिल कागजातों एवं अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने से निम्न तथ्य सामने आते हैं:–

1. अंचल अधिकारी, तालझारी के पारिवारिक विवरणी प्रमाण–पत्र सं0 07/2018 दिनांक 31.01.2018 एवं ग्राम प्रधान बड़ी भगियामारी के द्वारा निर्गत वंशावली के आधार पर आवेदिका एवं विपक्षी दोनों ही खतियानी रैयत के वंशज हैं।
2. हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के साथ संलग्न थाना प्रभारी तालझारी के दिनांक 11.11.2017 को दिये गये निदेशानुसार पंचायत समिति सदस्य, ग्राम प्रधान एवं मौजा के 16 आना रैयतों के साथ उक्त भूमि से संबंधित पंचायत की गई है। उक्त पंचायती में उभय पक्षों के बीच वर्णित जमीन का बंटवारा किया गया है। लेकिन दोनों पक्ष सहमत नहीं है।

उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत यह पाया जाता है कि आवेदिका एवं विपक्षी दोनों की खतियानी रैयत के वंशज है। उभय पक्ष मौजा भगियामारी एवं हाथीगढ के जमीन के हिस्से को लेकर विवाद है, जिसका निराकरण इस न्यायालय के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। अतएव इस वाद को समाप्त (Drop) किया जाता है।

लेखापित एवं संसोधित।

22/6/18

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

22/6/18

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

Scanned with CamScanner